2024/278

फर्द अहकाम

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजि. मुकाम बामनवास

रामफूल बनाम तिरोडी वगै०

किस्म मुकदमा अपील मुकदमा नं. 9 सन 29-8-24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-24	यह अपील श्री रामसिंह मीना एडवोकेट की ओर से पेश की गयी। जो बाद रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रत्यर्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड Ad. जरिये सम्यक समन से की जाकर पत्रावली दिनांक 28-10-2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/10/24	वकील अपीलान्ट उप०/ पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 24-12-24 को पेश हो/ (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर बामनवास (गंगापुर सिटी)	NOTED 29/10/24
24/12/24	उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 4-3-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/3/25	उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब (रीडर) अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 21-3-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/3/25	पत्रावली पेश हुई (रीडर)/ बहस वकील अपीलान्ट की सुनी गई/ पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28-3-25 को पेश हो/ (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बामनवास	
28/3/25	पत्रावली पेश हुई/ वकील अपीलान्ट उप०/ वकील अपीलान्ट की अपील स्वीकार की गई/ आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली फैसल (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्ब अह हुक
	सूचना होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। [signature] उपजिला कलक्टर बामनवास (स०मा०)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.

अपील संख्या 9/2024 | तारीख रजू 29.8.2024 | तारीख फैसला 28.3.2025

रामफूल पुत्र रामजी लाल, उम्र 66 साल, जाति मीना, निवासी सहजपुर, बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी अपीलार्थी

बनाम

1. किरोड़ी पुत्र रामजी लाल,
2. रामभजन पुत्र रामजी लाल,
3. रामस्वरूप पुत्र कन्हैया,

सभी जाति मीना, निवासी सहजपुर, बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी,

4. सरपंच, ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी,
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी,

प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 204

दिनांक 21.5.2006 ग्राम पंचायत बामनवास

पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास,

निर्णय दिनांक: 28.3.2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित की जा रही अपील में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी के पिता रामजी लाल का निधन होने के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

खुर्द द्वारा तस्दीक किया गया, उसमें अपीलार्थी का नाम रामफूल के स्थान पर रामफल दर्ज कर दिया गया, जिसकी अपीलार्थी को पहले कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी ने जब जमाबंदी की नकल निकलवाई, तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि उसका नाम रामफूल के स्थान पर रामफल दर्ज कर दिया गया है, अपीलार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों में रामफूल है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण में जो वंश वृक्षावली बनाई गई थी, उसमें अपीलार्थी का नाम रामफल गलत दर्ज कर दिया गया है। उसी आधार पर ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण में भी गलत नाम दर्ज कर दिया है, राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अपीलार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण अपीलार्थी को सरकारी सहायता राशि नहीं मिल पा रही है आदि कथन करते हुए अपील स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को अपील के नोटिसेज जारी किए गए, किसी भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 की पैतृक भूमि है और रामजी लाल के निधन के पश्चात् जरिये विरासत् उनके नाम नामान्तकरण खुला है। अपीलार्थी द्वारा पहचान से सम्बन्धित प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में अपीलार्थी

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

का नाम रामफूल पुत्र रामजी लाल ही अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सही नाम रामफल न होकर रामफूल है, उक्त नाम की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 204 दिनांक 21.5.2006 ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 21.5.2006 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पुनः मामले पर विचार कर जांच करें एवं विधि अनुसार बाद जांच नामान्तकरण की कार्यवाही संपादित करें ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

निर्णय आज दिनांक 28.3.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner